जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-03.04.2025

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग, मारपीट करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 01.04.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में दो पक्षो में एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग व मारपीट की घटना हुई थी। घटना का संज्ञान लेकर थाना कैराना पुलिस द्वारा 17 नामजद व कुछ व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कैराना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 02.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग मारपीट करने के मामले में वांछित अभियुक्त मनव्वर, परवेज उर्फ भट्टी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त मनव्वर के कब्जे से एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त राकिब व रिजवान पुलिस हिरासत में उपचाराधीन है बाद उपचार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं शीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.मनव्वर पुत्र अकील निवासी ग्राम मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली।

2.परवेज उर्फ भट्टी पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से जुआ खेलते 08 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नकदी 2100/- रुपये व 02 ताश की गड्डी बरामदः-

आज दिनांक 03.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अलग-अलग सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 08 जुआरियों को नकदी 2100/- रुपये एवं 02 ताश की गड्डी सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.अनिल पुत्र महिपाल निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.सोनू पुत्र सुरेन्द्रपाल निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.चमन पुत्र सवाचन्द निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4.बिट्टू पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

5.विकास पुत्र जगदीश निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

6.सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

7.सोनू पुत्र वीरसैन निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

8.सुरेश पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.-नकदी 2100/- रुपये।

2.-दो ताश की गड्डी।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में गौवध अधिनियम के 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1.-वर्ष 2007 में अभियुक्त हारून शेख पुत्र सानू शेख निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 653/2007 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03.04.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5,000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI